<u>जनपद बाराबंकी</u>

प्रेस नोट सं0-80 **दिनांक- 17.09.2021**

थाना टिकैतनगर पुलिस द्वारा 12 घण्टे के अन्दर फर्जी लूट का सफल अनावरण, फर्जी लूट की साजिश रचने वाला पेट्रोल पम्प मैनेजर गिरफ्तार कर लगभग 01 लाख 23 हजार रूपये बरामद-

दिनांक-16.09.2021 को वादी श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 महराजदीन सिंह निवासी ग्राम अजईमऊ थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी (मालिक चौधरी फिलिंग स्टेशन इण्डियन ऑयल ,नियामतगंज थाना टिकैतनगर) द्वारा थाना टिकैतनगर पर सूचना दी गयी कि मैनेजर मनमीत कुमार अवस्थी पुत्र रघुनाथ अवस्थी निवासी पूरे मिश्र थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी अपनी मोटरसाइकिल से डीजल-पेट्रोल की बिक्री का पैसा 05 लाख तिहत्तर हजार पांच सौ रूपये (5,73,500/-) ब्रांच हंसौर बैंक ऑफ इण्डिया में जमा करने जा रहे थे कि रास्ते में ग्राम खटौली के पास दो अज्ञात बाइक सवारों ने असलहा दिखाकर डिग्गी में रखे हुए पैसे लूट कर भाग गये। इस सूचना के आधार पर थाना टिकैतनगर में मु0अ0सं0-285/2021 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा घटना का सफल अनावरण कर शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट श्री रघुवीर सिंह के पर्यवेक्षण में 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेंस एवं डिजिटल डेटा के ऑनलसिस किया गया एवं थाना टिकैतनगर पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए आज दिनांक 17.09.2021 को घटना का सफल अनावरण करते हुए फर्जी लूट की घटना दिखाकर रूपये हड़पने वाले पेट्रोल पम्प मैनेजर मनमीत कुमार अवस्थी पुत्र रघुनाथ अवस्थी निवासी पूरे मिश्र थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 392 भादवि को धारा 408/203/411 भादवि में तरमीम किया गया ।

पूछताछ एवं जांच से प्रकाश में आया कि मनमीत कुमार लगभग 07 वर्षो से चौधरी फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पम्प (इण्डियन ऑयल) पर तेल मापने का कार्य करता था तथा मार्च-2021 से बतौर मैनेजर कार्य करता था। आवश्यकता पड़ने पर पेट्रोल पम्प की बिक्री के रूपये बिना मालिक को बताये खर्च कर लेता था और पिछले हिसाब में आज के बिक्री का रूपया जोड़कर मालिक को हिसाब दे देता था । दिनांक-15.09.2021 को मालिक अमर सिंह ने मैनेजर मनमीत को हिसाब करके 05,73,500/-रूपये बैंक में जमा करने के लिए कहा । इधर अबतक मनमीत 4,50,800/- रूपये खर्च कर चुका था उसके पास उस दिन की तेल बिक्री के मात्र 01,22,700/- रूपये थे तो उसने फर्जी लूट दिखाकर सारे रूपये हड़पने की योजना बनाई ।

दिनांक-16.09.2021 को उसने बैंक ऑफ इण्डिया बारिनबाग के बैंककर्मी से बात किया तो उक्त ब्रान्च में सर्वर डाउन बताया गया । फिर मनमीत ने अपने योजनानुसार हंसौर थाना टिकैतनगर स्थित बैंक ऑफ इण्डिया ब्रांच मे पैसा जमा करने जाते समय खुटौली मोड़ के पास दो अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों ने तमंचे के बल पर बाइक की डिग्गी में रखे हुए पैसे लूट लेने की फर्जी कहानी

बना कर पेट्रोल पम्प मालिक अमर सिंह को बताया । जांच से पाया गया कि खुटौली मोड़ रास्ते पर बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था और उधर से किसी का आना-जाना भी नहीं था । अभियुक्त मनमीत ने घटना को स्वीकार किया तथा अभियुक्त के पास से शेष 01,22,700/- रूपये बरामद किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

मनमीत कुमार अवस्थी पुत्र रघुनाथ अवस्थी निवासी पूरे मिश्र थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी (मैनेजर)

बरामदगी-

1- 01,22,700/- रूपये/-

पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री शशिकान्त यादव थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी

2- उ0नि0 श्री अमित कुमार पाण्डेय थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी

3-का0 रविशंकर थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी

4- का0 रविन्द्र सिंह, का0 शंकर लाल थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी ।